5/संख्या- 16/बयालिस- 2014-04(निर्माण)/2012

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नयाक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रेदश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2014**

विषय- **जनपद- देवरिया में तहसील- भाटपार रानी अन्तर्गत ग्राम- मल्हना मल्हनी में स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 894/नि0देवरिया स्टे0 पत्रा/2013-14, दिनांक 09-12-2013 एवं पत्र संख्या- जी0- 989/नि0देवरिया स्टे0 पत्रा/2013-14, दिनांक 01-01-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2013-14 में जनपद- देवरिया में तहसील- भाटपार रानी अन्तर्गत ग्राम- मल्हना मल्हनी में स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 475.70 लाख (रू0 चार करोड पचहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीक़ृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2013-14 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्लर्गत दी जा रही है।

(2)- निर्माण कार्य भारतीय खेल प्राधिकरण के मानकों के अनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(3)- प्रश्नगत् कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4)- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगें।

(5)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चत करेंगें कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।

.....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि विभाग हेतु निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत है। स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेंगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2013-14 में अनुदान संख्या- 22 के संख्या-22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-53-जनपद देवरिया में भाटपार रानी मल्हना-मल्हनी में स्टेडियम का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-239/दस-2014, दिनांक 05 फरवरी, 2014 में प्राप्त् उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय्,

(के0 रविन्द्र नायक)
सचिव।

संख्या- 16(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रेदश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, देवरिया।
5- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी गोरखपुर/क्रीडाधिकारी, देवरिया।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
7- वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय - नियंतत्र) अनुभाग- 5
9- नियोजन अनुभाग- 4
10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in